

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, छोपाबड़ौद
जिला-बारा



फ्रमांक : R31/2014/Misc/Digital Caste (SC/ST)/2014



दिनांक 18-06-2014

* जाति प्रमाण-पत्र *

प्रमाणित किया जाता है कि श्री SATYENDRA PRAKASH MINA एवं RADHESHYAM MINA गांव/नगर JHAMRIYA जिला/डिवीजन बारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में **मीना (9)** जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

निधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य द्वारा) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य द्वारा) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संघियां (संशोधन) आदेश 1956, गम्भई पुनर्गठन अधिनियम 1960, एनाक्ट मुनराइन अधिनियम 1966, द्विमात्र ग्रन्थांक अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप ध्रुव (पुनर्गठन मंडिल) अधिनियम, 1971 वहर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ग्रन्थांक (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संविधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संविधित संविधान (अष्टमान तथा नियोगार्थी प्रीप तम्हा) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दारांडा तथा आगरा द्वेषी) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दारांडा तथा नारांडा द्वेषी) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (बांदोरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन एवं दीवा) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीवा) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागार्जुना) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी SATYENDRA PRAKASH MINA गांव/नगर JHAMRIYA जिला/डिवीजन बारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिकृत्ता से एक 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यूटरीजॉडी/08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरुक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद दोनों प्रत प्रमाण-पत्र खारिग किया जा सकेगा।
4. ग्रामीण द्वारा प्रारूपित किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बैधित दस्तावेजात जिले के सम्बैधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कायालिय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। उत्तम सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्राचीनों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सन्तापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ओन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, छोपाबड़ौद

Signature valid

Digitally signed by
Sharma Jagdishan
Date: 2014-06-18
08:14:59 +05'30'
Reason: SCM
Location: Rajasthan

Bara 2012 012336



1431009710154404